

## भारतवर्ष मे महिला सशक्तिकरण: दशा एवं दिशा

प्रो. राजेश कुमार पाण्डेय\*

### सार

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत वर्ष विश्व के देशो मे अग्रणी रहा है। हमारी साझा संस्कृति ही हमारी पहचान रही है हमारा देश आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक विकास की दिशा मे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। किन्तु हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्र शक्ति के अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा एवं आत्म सम्मान के प्रति कितने संवेदन शील हैं? यह विचारणीय प्रश्न है वस्तुतः सामाजिक संरचना के केन्द्र मे रहने वाली नारी सदियों से सत्ता की लालसा रखने वाले पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार रही है। सम्पूर्ण विश्व मे नारी सशक्तिकरण हेतु नारी आन्दोलनो की महती भूमिका रही है भारत मे नव जागरण का आरम्भ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को माना जाता है। भारत मे महिलाओ को आज सभी क्षेत्रो मे वैधानिक रूप मे समान अधिकार प्राप्त है किन्तु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्राप्त करने हेतु आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

**शब्दकोश:** सत्तात्मक, साझा संस्कृति, अधोपतन, सशक्तिकरण।

### प्रस्तावना

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत वर्ष विश्व के देशो मे अग्रणी रहा है। हमारी साझा संस्कृति ही हमारी पहचान रही है हमारा देश आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक विकास की दिशा मे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सैन्य शक्ति के तौर पर भी हम नित नूतन उँचाइयों को छू रहे है। आज सम्पूर्ण विश्व मे हमारी पहचान एक उभरते हुए विकसित देश के रूप मे होने लगी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे है।

किन्तु हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्र शक्ति के अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा एवं आत्म सम्मान के प्रति कितने संवेदन शील हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे देश मे जहाँ नारियों को देवी स्वरूपा माना जा है और यह कहा जाता है कि यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात् जहाँ नारियो की पूजा होती है वहाँ देवताओ का वास होता है। डॉ अम्बेडकर का यह कथन कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे मे जानना है तो उस समाज मे स्त्रियों की दशा का अध्ययन आवश्यक होगा किसी भी समाज की प्रगति का आकलन नारी शक्ति की दशा एवं दिशा के अध्ययन से ही सम्भव हो सकता है। समाज की आधी आबादी की उपेक्षा उस समाज के अधोपतन का कारण होती है।

\* वाणिज्य संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

वस्तुतः सामाजिक संरचना के केन्द्र में रहने वाली नारी सदियों से सत्ता की लालसा रखने वाले पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार रही है। नारी जाति को अबला एवं दोगम दर्जे के रूप में स्थापित करने का कुचक्र सदियों से रचा जा रहा है। किन्तु शिक्षा सामाजिक जागरूकता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता कतिपय ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से नारी सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिल रहा है।

वास्तविक अर्थों में भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व पित्र सत्तात्मक समाज के ढाँचे में ढला हुआ है सामाजिक संरचना के केन्द्र में रहने वाले पुरुष प्रधान समाज में निर्णयन का अधिकार पुरुष वर्ग के पास ही रहा है। पुरुष वर्ग को चुनौती देना सहज नहीं है और न इसकी आवश्यकता ही है। महिला सशक्तिकरण के लिए पित्र सत्तात्मक समाज को मात्र सत्तात्मक समाज में बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था है। किन्तु उस समाज में भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का भरण पोषण ही उनकी नियति बन चुकी है। विश्व की कतिपय जनजातियों जैसे चीन की मोसुओ, न्युगुयाना की नागोविसी जनजाति मात्र सत्तात्मक है। यहाँ महिलाएं राजनीति अर्थब्यवस्था एवं सामाजिक निर्णयों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। स्वस्थ समाज की अवधारणा ऐसी सामाजिक संरचना में निहित होती है जहाँ पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर की समानता संविधान एवं समाज दोनों द्वारा पोषित हो।

सम्पूर्ण विश्व में नारी सशक्तिकरण हेतु नारी आन्दोलनों की महती भूमिका रही है। इन आन्दोलनों का आरम्भ उन्नीसवीं सदी माना जाता है इसका सूत्रपात पश्चिमी देशों में हुआ। पश्चिम के अनेकों देश इस आन्दोलन में सहभागी बने। नारी आन्दोलनों के उपरान्त ही नारी सशक्तिकरण की अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए नारी सशक्तिकरण को समझने के लिए नारी आन्दोलनों को समझना भी आवश्यक है। वस्तुतः नारी आन्दोलनों की शुरुआत समाज द्वारा उनकी उपेक्षा एवं उन्हें हीन एवं कमजोर समझने की प्रवृत्ति के साथ जाग्रत हुई। इसी काल में नारीवाद जैसा शब्द भी चलन में आया। इसके पीछे पुरुष प्रधान समाज में नारी की प्रताड़ना एवं शोषण के साथ पित्रसत्तात्मक समाज में नारी को हीन दर्जा दान किया जाना रहा है। पुरुष समाज ही नारी के लिए जीवन जीने के नियम कार्य व्यवहार एवं स्वतंत्रता की सीमा रेखा निर्धारित करता है। समाज स्त्री के स्वतंत्र ब्यक्तित्व को नकारता है। नारी आन्दोलन पुरुष का नहीं अपितु पित्रसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। इस आन्दोलन की मूल अवधारणा के पीछे नारी को पुरुष के समान सम्मान अधिकार व अवसरों की समानता में निहित है। नारी आन्दोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा की पोषक है कि नारी भी मनुष्य है मनुष्य होने के साथ ही वह दुनिया की आधी आबादी है। स्रष्टि के स्रजन में नारी का योगदान पुरुष से कमतर नहीं है बल्कि अधिक ही है। नारी स्रजन की मूलाधार होने के साथ साथ उसकी पोषक भी है।

नारी आन्दोलन का आरम्भिक चरण उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरम्भ का है। अमेरिका के शहरी उदारवादी एवं औद्योगिक परिवेश में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस आन्दोलन का दूसरा चरण साठ के दशक से माना जा सकता है। इस दौर में यह जानने का यत्न किया गया कि कानून एवं वास्तविक असमानताएँ परस्पर सम्बन्धित हैं एवं इन्हें दूर करने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। आन्दोलन के तीसरे चरण का आविर्भाव नब्बे के दशक में हुआ। इसमें दूसरे चरण में दी गई नारीत्व की परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक परिपेक्ष्य में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था उसी क्रम में भारत में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर अनवरत समाज सुधार के व्यापक प्रयत्न हो रहे थे। किन्तु उसका स्वरूप पश्चिम के स्वरूप से भिन्न था। पश्चिम में अपेक्षा कृत अधिक खुलापन एवं स्वतंत्र ब्यक्तित्व की झलक देखने को मिली। जब कि भारत में भारतीय संस्कृति एवं सनातन के आलोक में सीमित स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। पश्चिम में नारी की स्वतंत्रता पर पश्चिमी औद्योगिकरण का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुआ।

भारत में नव जागरण का आरम्भ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है। नारी सशक्तिकरण एवं उत्थान का क्रम समाज सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंध विश्वासों के विरुद्ध आवाज बाल विवाह सती प्रथा एवं देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज को बुलन्द किया गया। राजाराम

मोहन राय स्वामी विवेकानन्द ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सावित्री बाई फूले जैसे समाज सुधारको ने तत्कालीन समाज में स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी आन्दोलनो का दूसरा दौर भारत में गाँधी के आगमन के साथ आरम्भ होता है। यह वह दौर था जब गाँधी के आवाहन पर महिलाएँ सामाजिक राजनैतिक व स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से सहभागिता दर्ज करा रही थी यही वह दौर था जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गाँधी व अम्बेडकर द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का अनवरत प्रयास किया गया। महात्मा गाँधी पर्दा प्रथा, बाल विवाह दहेज प्रथा, उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओं तथा छुआछूत के निवारण की बात कर रहे थे। दूसरी ओर डॉ अम्बेडकर मताधिकार लैंगिक समानता एवं उच्च नीच जात पात छुआछूत इत्यादि के लिए काम कर रहे थे।

वर्तमान समय में भारत नारी सशक्तिकरण के तीसरे दौर में है यह दौर महिलाओं के सामाजिक राजनैतिक आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी वादी आन्दोलनो की महती भूमिका रही है। वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्त होने के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। महिलाएँ शिक्षा राजनीति उद्योग विज्ञान तकनीक व अन्य अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी बन रही हैं। सैन्य एवं उड्डयन क्षेत्र में उनकी भागीदारी निश्चय ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। किन्तु अभी भी चुनौतियाँ कुछ कम नहीं हैं। इसके लिए मानवीय चिन्तन के परिष्करण एवं परिमार्जन की आवश्यकता है। नारी उपभोग की वस्तु न होकर समाज के लिए समान उपयोगिता रखने वाली है।

#### **महिला सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप**

आज सम्पूर्ण विश्व में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। क्यों कि किसी भी राष्ट्र के विकास में नारी की उपेक्षा करके विकास के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः दिवस मनाने के पीछे मूल भावना यही है कि आज भी नारी निर्बल अशक्त असहाय पराश्रित एवं अबला के विशेषणों से आगे नहीं बढ़ सकी। दिवस उनके लिए मनाए जाते हैं जो हमारी स्मृतियों से ओझल हो चुके हैं। दिवस विडम्बना है असहाय एवं निर्वलो के लिए शक्तिशाली के लिए नहीं। मैथिली शरण गुप्त की कतिपय पंक्तियाँ अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी आँचल में है दूध और आँखों में पानी। नारियों की दशा पर प्रकाश डालती है। महिला सशक्तिकरण का आशय केवल घर से बाहर निकल कर नौकरी करने या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। सशक्त होने का आशय नारी के निर्णयन में सहभागिता से है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वह अपने विषय में स्वयं निर्णय ले रही है अथवा अन्य पर आश्रित है। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण हेतु उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना अतीव आवश्यक है। यदि नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह कभी भी सशक्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक नारी का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे शब्दों में आर्थिक स्वावलम्बन ही नारी सशक्तिकरण का मूलाधार है।

भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप में समान अधिकार प्राप्त हैं किन्तु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने हेतु आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर आज भी हमारे समाज का मूल ढाँचा पित्रसत्तात्मक है। समय समय पर खाप पंचायतें या इन जैसी अन्य संस्थाएँ महिलाओं के वस्त्र विन्यास उनका रहन सहन निर्धारित करने का प्रयत्न करती रहती हैं। प्रेम प्रसंगों में तो उत्पीड़न व भ्रत्युदंड तक निधरित कर देती हैं। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता न होना रात को अकेले घर से बाहर जाने की मनाही लड़कों के समान स्वतंत्रता न देकर अनेक बंदिशें लगाना नारी सशक्तिकरण को कमजोर करने की पहल है। सबरी माला व अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म व जाति के गठजोड़, रूढ़ि एवं अंध विश्वास ने महिलाओं का अधिक

शोषण किया है। राजनीति का क्षेत्र प्राचीन काल से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाई। वस्तुतः राजनीति वह तत्व है जो किसी भी व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ती है। राजनीति किसी महिला को घर की चहार दीवारी से निकलकर समाज को संचालित करने की दिशा प्रदान करती है। विश्व के प्रत्येक भूभाग में प्रायः राजनैतिक चिन्तन के केन्द्र में पुरुषों की ही प्रधानता रही। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। हमारे देश में भी प्राचीन काल से चली आ रही पुरुष प्रधान शासन परम्परा अभी भी विद्यमान है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आबादी के अनुपात में अब भी बहुत कम है। वर्तमान समय में देश की लोक सभा के 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद एवं राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं। वर्तमान राष्ट्रपति दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। जो देश के सर्वोच्च सांविधिक पद पर शोभायमान हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्ति सम्पन्न माना जाता है। जिस पर केवल एक महिला श्रीमती इन्दिरा गान्धी पदारूढ रही। वे भी स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रदूत एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की इकलौती संतान थी। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के इतिहास में कोई सामान्य परिवार की महिला देश के सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न पद पर विराजमान नहीं हो सकी। इसी से भारत में नारी सशक्तिकरण के नाम पर राजनैतिक वितंडावाद की बानगी मिल जाती है।

वस्तुतः नारी सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के राजनैतिक व सामाजिक उत्थान के पूर्व उनका आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी कसौटी है। जब नारियाँ आर्थिक रूप से सशक्त सक्षम एवं स्वतंत्र होंगी तभी नारी सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकेगा। नारी जब तक अपने खान-पान रहन-सहन सामाजिक सरोकार शिक्षा तथा कर्म क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम नहीं होगी तब तक नारी सशक्तिकरण की बात करना बेमानी होगी। अब सहज प्रश्न उठता है कि सदियों से पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने जिन क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है क्या सहजता पूर्वक उन क्षेत्रों में नारी के दखल को सहज ही स्वीकार कर लेंगे। शायद नहीं। किन्तु नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता ही इसका सरल एवं सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। ऐसे अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ विद्यमान हैं जिनमें महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता उसके स्वतंत्र चिंतन गरिमामयी जीवन एवं व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णयन का आधार बनी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएँ परिवार व समाज सम्बन्धी निर्णयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

पारम्परिक तौर पर भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं को काम के लिए बाहर निकलना वर्जित था। इनके बाहर निकलने को पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। कतिपय शहरी संदर्भों को छोड़कर कर्मोवेश ग्रामीण समाज में आज भी वही स्थिति है तथाकथित अभिजात्य वर्ग / सवर्ण वर्ग में महिलाओं को आज भी पर्दे के पीछे रखा जाता है उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है। वे घर के किसी पुरुष के साथ ही बाहर जा सकती हैं। किन्तु समाज के निचले वर्ग जिन्हें अनुसूचित जाति जन जाति व पिछड़ा वर्ग के नाम से वर्गीकृत किया गया है। में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं वे काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर वेरोक टोक जा सकती हैं कई परिवारों में महिलाओं की भूमिका घर के मुखिया के रूप में भी देखी जा सकती है। किन्तु उनके शोषण एवं उत्पीड़न के अनेक उदाहरण उस समाज में भी विद्यमान होते हैं। आर्थिक रूप से परिवार पर आश्रित रहने के कारण पारिवारिक व सामाजिक निर्णयन में उनकी भूमिका शून्य होती है। वे आज भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती हैं। किन्तु शिक्षा साक्षरता एवं जन जागरण तथा वर्तमान भौतिक परिवेश के कारण आज परिस्थितियाँ बदली हैं। आज के पढ़े लिखे पेशेवर युवा नौकरी पेशे वाली महिला को अपना जीवन साथी बनाने की चाहत रखने लगे हैं। आज कल आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएँ अपने कैरियर को लेकर लेकर अधिक जागरूक हैं। आज की लड़कियाँ घरों से बाहर निकल कर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं प्रवन्धकीय शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर स्थापित कर चुकी हैं सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान सेवा शर्तों एवं समान बेतन पर काम कर रही हैं। किन्तु निजी क्षेत्रों में कई बार उन्हें आज भी भेद भाव का सामना करना पड़ रहा है। जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। फिल्म निर्देशन उद्यमिता एवं कार्पोरेट की मुखिया जैसे पदों पर इक्का दुक्का उदाहरण छोड़कर पुरुषों के ही वर्चस्व विद्यमान है।

प्राचीन भारत में नारी शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त सुब्यवधित थी वैदिक काल में स्त्री और पुरुष की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था वैदिक काल में विश्रआरा,अपाला,घोषा,, गार्गी, लोपमुद्रा, मैत्रेयी,सिकता, रत्नावली जैसी अनेको बिदुषी महिलाएँ विद्यमान थीं।किन्तु भारत में विदेशियों के आगमन के उपरान्त नारी शिक्षा की धार कुन्द पड.ने लगी। विदेशी आक्रान्ताओं से स्त्रियों के नारीत्व की रक्षा के लिए बाल विवाह, पर्दा प्रथा सती प्रथा, जैसी कुप्रथाओं का उदय हुआ। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत वर्ष में नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। पढी लिखी लड.की रोशनी घर की, वेटी बचाओ बेटी पढाओ, पढी लिखी नारी घर की उजियारी इत्यादि नारों से नारी शिक्षा एवं नारी जागरण को नये आयाम मिले।आज के ग्रामीण भारत में भी बालिकाएँ स्कूल जाने लगी हैं बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा समूचे देश में की गई है। जिसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। हमारी बेटियाँ शिक्षा, चिकित्सा, खेल, लेखन, प्रशासन, सेना, उड्डयन, विज्ञान, प्रबन्धन,इत्यादि अनेको क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी हैं। भारत सरकार, द्वारा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर कड़े. कानून बनाकर नारी सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक पहल की गई है।महिला उत्पीड.न तीन तलाक, कार्य स्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा, जैसी सामाजिक बुराइयों पर कानून बनाकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाया है। किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत जातिगत भेदभाव, गरीबी, पिछडा.पन अन्धविश्वास, जैसी बुराइयाँ अभी भी विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिला आबादी का बडा. हिस्सा घरेलू कामकाज तक ही सीमित है।सम्पूर्ण देश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा।नारी शिक्षा एवं सुरक्षा,रोजगार, अवसरों की समानता, लिंग भेद, उत्पीड.न, बाल विवाह दहेज प्रथा इत्यादि विषयों पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक स्वरूप में अनेक स्थलों पर समानता का ब्यवहार एवं पुरुष प्रधान समाज के मानसिक शुद्धीकरण से ही महिला सशक्तिकरण के द्वार खुल सकेंगे।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शुक्ला डॉ मंजू (2011) महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण भारत प्रकाशन लखनउ
2. मेनन रितु (2005) कर्मठ महिलाएँ नेशनल बंक ट्रस्ट इंडिया
3. लता डॉ मंजू (2009) अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड.न अर्जुन पब्लिकेशन दिल्ली
4. गुप्त शरण मैथिली यशोधरा (1933)

